

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 06 जुलाई, 2023

उद्घोषित: 12 जुलाई, 2023

ले.पे.अ. 527/2023 और सी.ए.वी. 326/2023, सि.वि. आ. 33590/2023, सि.वि. आ. 33591/2023, सि.वि. आ. 33592/2023

भारत संघ एवं अन्य

.....अपीलार्थीगण

द्वारा: श्री मुकुल सिंह, कें.स.स्था.अधि.  
सहित सुश्री इरा सिंह, अधिवक्ता।

बनाम

आर एन सिंह

.....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री राजशेखर राव, वरिष्ठ  
अधिवक्ता सहित सुश्री गौरी पुरी,  
सुश्री अदिति गुप्ता एवं श्री अरीब,  
अधिवक्तागण।

कोरम:

माननीय मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव नरूला

निर्णय

न्या. संजीव नरूला

1. यह मामला केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ["कें.प्रशा.अधि."] के न्यायिक सदस्य, प्रत्यर्थी श्री आर. एन. सिंह की पुनर्नियुक्ति की प्रारंभ तिथि के अवधारण से संबंधित है। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 [इसके बाद, "प्रशा.अधि.अ., 1985"] के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत, प्रत्यर्थी का मूल पांच वर्ष का कार्यकाल 11 जुलाई, 2023 को समाप्त होने वाला है और पुनर्नियुक्ति हेतु उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है। यद्यपि, अपीलार्थीगण का कहना है कि यह अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 [इसके बाद, "अधि.सु.अ., 2021"] के प्रावधानों के अंतर्गत एक नया चयन है और प्रशा.अधि.अ., 1985 के अंतर्गत उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिनांक 03 मई, 2023 का निर्णय इस प्रतिविरोध को अस्वीकार करता है, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि इस प्रकार का निर्वचन प्रत्यर्थी के मूल कार्यकाल को कम कर देगा और प्रशा.अधि.अ., 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त अन्य व्यक्तियों की तुलना में उसके विरुद्ध भेदभाव को बढ़ावा देगा, [इसके बाद "आक्षेपित निर्णय" के रूप में संदर्भित]।

### तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

2. श्री आर. एन. सिंह को 03 जुलाई, 2018 को प्रशा.अधि.अ., 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत पांच वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले आए, उनके पद संभालने की तिथि से कें.प्रशा.अधि. के न्यायिक

सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। वह 12 जुलाई, 2018 को सेवा में शामिल हुआ और उसका कार्यकाल 11 जुलाई, 2023 को समाप्त होने वाला है।

3. प्रशा.अधि.अ., 1985 को 04 अप्रैल, 2021 को अधि.सु.अ., 2021 द्वारा अतिष्ठित कर दिया गया था। इस संशोधन के बाद, कें.प्रशा.अधि. सदस्यों की चयन प्रक्रिया सहित सेवा शर्तें अधि.सु.अ., 2021 और उसके अंतर्गत बनाए गए बाद के नियमों द्वारा शासित होने लगीं। दिनांक 04 अप्रैल, 2022 को, अपीलार्थी सं. 1 ने अधि.सु.अ., 2021 और अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 [इसके बाद, "2021 नियम"] के संदर्भ में कें.प्रशा.अधि. के न्यायिक सदस्यों के लिए स्वीकृत रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु आवेदन की याचना करते हुए एक परिपत्र जारी किया। विशेष रूप से, परिपत्र और 2021 नियम दोनों में पहले से ही सेवा में मौजूद सदस्यों की पुनर्नियुक्ति के प्रावधान शामिल हैं।

4. अपने मौजूदा कार्यकाल के केवल एक वर्ष से अधिक समय शेष रहने पर, जो 11 जुलाई, 2023 को समाप्त होना है, प्रत्यर्थी ने उपरोक्त रिक्ति परिपत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए, 22 अप्रैल, 2022 को पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन किया।

5. खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश के बाद, प्रत्यर्थी की नियुक्ति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा चार वर्ष की अवधि के लिए या 67 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक, जो भी पहले हो, अनुमोदित कर दिया गया था। दिनांक 06

अगस्त, 2022 के नियुक्ति आदेश के अनुसार, उन्हें आदेश की तिथि से तीस दिनों के भीतर कें.प्रशा.अधि. की प्रधान पीठ के समक्ष उपस्थित होना था।

6. उक्त नियुक्ति आदेश की प्रतिक्रिया में, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थीगण को दिनांक 16 अगस्त, 2022 को पत्र भेजा, जिसमें प्रशा.अधि.अ., 1985 के अंतर्गत अपने प्रारंभिक कार्यकाल के पूरा होने के बाद, अर्थात् लगभग एक वर्ष के बाद शामिल होने की तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया गया। यद्यपि इस अनुरोध को 26 अगस्त, 2022 और 11 अक्टूबर, 2022 के पत्र-व्यवहार के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी को 04 सितंबर, 2022 से प्रशा.अधि.अ., 1985 के अंतर्गत कें.प्रशा.अधि. के न्यायिक सदस्य के रूप में अपना पहला कार्यकाल त्याग दिया गया माना गया और उसने अगले दिन अपना दूसरा कार्यकाल ग्रहण किया।

7. उपरोक्त अस्वीकरण के विरुद्ध, प्रत्यर्थी ने इस न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका [रि.या.(सि.) 16933/2022] दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि प्रशा.अधि.अ., 1985 के अंतर्गत जारी किए गए उसके नियुक्ति आदेश दिनांक 03 जुलाई, 2018 ने उसे 12 जुलाई, 2018 से 11 जुलाई, 2023 तक पांच वर्ष का कार्यकाल प्रदान किया और इस प्रकार, पुनर्नियुक्ति पर उसका कार्यकाल संक्षेपित नहीं किया जा सका।

8. विद्वान एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय में प्रत्यर्थी से सहमति व्यक्त की और आदेश दिया कि उसकी पुनर्नियुक्ति उसके पहले कार्यकाल की अंतिम तिथि 11 जुलाई, 2023 से प्रभावी होनी चाहिए।
9. आक्षेपित निर्णय से असंतुष्ट, अपीलार्थीगण ने यह अंतर-न्यायालय अपील दायर की है।

### आक्षेपित निर्णय

10. विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले का संपूर्णता में परीक्षण किया, अधि.सु.अ., 2021 के प्रावधानों का निर्वचन किया और निष्कर्ष निकाला कि चूंकि प्रत्यर्थी कें.प्रशा.अधि. का एक सेवारत न्यायिक सदस्य था, जो कार्यकाल अभी भी शेष था, इसलिए उसकी पुनर्नियुक्ति की गणना 11 जुलाई, 2023 से की जानी चाहिए, न कि उससे पहले से। आक्षेपित आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

“19. अधि.सु.अ., 2021 की धारा 5 के अनुसार, एक सदस्य का कार्यकाल प्रशा.अधि.अ., 1985 की धारा 8(2) के विपरीत चार वर्ष तक कम कर दिया गया था, जहां कार्यकाल पांच वर्ष था। आयु सीमा भी 65 वर्ष से बदलकर 67 वर्ष कर दी गई है। यद्यपि, धारा 5 का प्रावधान कुछ शर्तों को अनुबंधित करता है, जिन पर 1985 अधिनियम के अंतर्गत नियुक्ति के आदेश को धारा 5 में निर्धारित आयु सीमा से अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। उक्त प्रावधान 'किसी भी निहितार्थ के बावजूद' वाक्यांश से शुरू होता है। यद्यपि, प्रावधान उन शर्तों को विहित करता है जिनमें धारा 5 लागू नहीं होगी। इस प्रकार, जबकि मुख्य प्रावधान किसी भी अन्य विधि अर्थात्, यहां तक कि प्रशा.अधि.अ. 1985 के बावजूद भी मौजूद है, परंतु मुख्य धारा का अपवाद है। इस प्रकार, यदि प्रावधान के अंतर्गत शर्तें पूरी होती हैं,

तो प्रशा.अधि.अ. 1985 लागू होता रहेगा। संतुष्ट होने वाली उक्त शर्तें इस प्रकार हैं:

- i) नियुक्ति 26 मई, 2017 और 4 अप्रैल, 2021 के बीच की जानी चाहिए थी;
- (ii) पद की अवधि धारा 5 (1) और 5 (2) में विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक है।

20. यदि उपरोक्त दो शर्तें पूरी होती हैं, तो धारा 5 में विहित आयु सीमा के बावजूद, प्रशा.अधि.अ. 1985 के अंतर्गत नियुक्ति के आदेश को प्राथमिकता दी जाएगी, जब तक कि कार्यकाल पांच वर्ष से अधिक न हो।

21. विद्वान अधिवक्ता यह तर्क देने के लिए 'सेवानिवृत्ति की आयु' वाक्यांश पर भरोसा करना चाहते हैं कि प्रावधान केवल सेवानिवृत्ति के मामले में लागू होता है एवं पुनर्नियुक्ति पर नहीं। यद्यपि, यह निर्वचन धारा 5 को पढ़ने से सामने नहीं आता है जो स्पष्ट रूप से 'उनके कार्यालय की अवधि' या 'सेवानिवृत्ति की आयु' अनुबंधित करती है जैसा कि उनकी नियुक्ति के आदेश में प्रदान किया गया है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता का कार्यकाल उसके नियुक्ति आदेश अर्थात् 3 जुलाई, 2018 के अनुसार होना चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से कार्यकाल पांच वर्ष तय किया गया है।

22. अधि.सु.अ., 2021 की धारा 5 तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के होते हुए भी है। यद्यपि, प्रावधान उन व्यक्तियों के लिए एक अपवाद है जिन्हें एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान नियुक्त किया गया है। याचिकाकर्ता को उक्त अवधि के दौरान अर्थात् 26 मई 2017 से 4 अप्रैल 2021 के बीच नियुक्त किया गया था। इस प्रकार, जहां तक पांच वर्ष के पहले कार्यकाल का संबंध है, याचिकाकर्ता का मामला प्रशा.अधि.अ., 1985 की धारा 8(2) द्वारा शासित होगा।

23. जब 4 अप्रैल, 2022 को रिक्ति परिपत्र जारी किया गया था तब याचिकाकर्ता कें.प्रशा.अधि. में न्यायिक सदस्य के रूप में कार्यरत था। याचिकाकर्ता की नियुक्ति की मूल तिथि 3 जुलाई, 2018 है और उसने 12 जुलाई, 2018 को कार्यभार संभाला है, उसका मामला स्पष्ट रूप से धारा 5 के परंतुक में अनुबंधित अवधि के भीतर आएगा। पुनर्नियुक्ति के बाद भी, याचिकाकर्ता ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उसका पुनर्नियुक्ति कार्यकाल 11 जुलाई, 2023 को पांच वर्ष की प्रारंभिक अवधि समाप्त होने के बाद शुरू होगा। याचिकाकर्ता को कें.प्रशा.अधि. के अध्यक्ष ने भी समर्थन दिया है।

24. प्रत्यर्थी का यह रुख कि कैबि.नि.स. के आदेश के अनुसार कार्यभार संभालने की तिथि से याचिकाकर्ता का पांच वर्ष का प्रारंभिक कार्यकाल कम हो जाएगा, इसे न्यायालय का समर्थन नहीं मिला, क्योंकि याचिकाकर्ता के साथ अन्य

समान पद वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, जिन्हें प्रशा.अधि.अ., 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त किया गया था।

25. वे सभी व्यक्ति, जिन्होंने पुनर्नियुक्ति की मांग नहीं की होगी, उन्हें धारा 5 के परंतुक के अंतर्गत इस अर्थ में संरक्षित किया गया है कि पांच वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष प्राप्त होने पर, जो भी पहले हो, उक्त व्यक्तियों द्वारा लाभ प्राप्त किया जाएगा।

26. यदि प्रत्यर्थी जिस ढंग से उक्त प्रावधानों का निर्वचन कर रहा है, उसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह याचिकाकर्ता के लिए भेदभावपूर्ण होगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत याचिकाकर्ता के अधिकारों का उल्लंघन होगा।

27. इसके अलावा, यह न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान देता है कि देश भर के विभिन्न अधिकरणों में भारी संख्या में रिक्तियां मौजूद हैं। ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता के कार्यकाल में कटौती न्याय प्रदान करने के हित में भी नहीं होगी।

28. श्री मुकुल सिंह ने न्यायालय को अवगत कराया कि जहां तक रिक्तियों का संबंध है, वर्ष 2022-23 हेतु नियुक्ति की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है और मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। यद्यपि, वर्तमान मामले में, यह न्यायालय रिक्तियों को भरने से संबंधित मुद्दों से निपट नहीं रहा है।

29. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता की नियुक्ति की पहली अवधि को 11 जुलाई, 2023 तक जारी रखने की अनुमति दी जाएगी और पुनर्नियुक्ति उस तिथि से प्रभावी होगी जब उसका पहला कार्यकाल समाप्त होगा अर्थात् 11 जुलाई, 2023 से। इस प्रकार, जहां तक याचिकाकर्ता का संबंध है, कैबि.नि.स. के 5 अगस्त, 2022 के आदेश के अनुसार, दूसरे कार्यकाल के लिए कार्यभार संभालने की तिथि 11 जुलाई, 2023 मानी जाएगी।

30. उपरोक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा और 14 अक्टूबर, 2022 और 19 अक्टूबर, 2022 के आदेशों सहित इसके विपरीत किसी भी आदेश को अपास्त कर दिया जाता है।

31. उपरोक्त शर्तों के अंतर्गत याचिका को अनुज्ञात किया जाता है। सभी लंबित आवेदनों का निपटान कर दिया गया है।”

## प्रतिविरोध

11. अपीलार्थीगण हेतु केंद्रीय सरकार के स्थायी अधिवक्ता श्री मुकुल सिंह ने निम्नलिखित आधारों पर आक्षेपित निर्णय की आलोचना की:

11.1. विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह मानने में गलती की है कि प्रत्यर्थी की पुनर्नियुक्ति उस तिथि से प्रभावी होगी जब पहला कार्यकाल समाप्त होगा। अधि.सु.अ., 2021 और 2021 नियमों के अंतर्गत न्यायिक सदस्यों के पद हेतु आवेदन मांगने के लिए दिनांक 04 अप्रैल, 2022 का परिपत्र जारी किया गया था। आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को इस आशय का एक घोषणापत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित था कि वे नियुक्ति आदेश जारी होने के तीस दिनों के भीतर सेवा में शामिल हो जायेंगे। यहां तक कि अधि.सु.अ., 2021, 2021 नियम और 16 जुलाई, 2009 के कार्यालय ज्ञापन में भी एक समान खंड शामिल है। इस प्रकार, उक्त स्थिति की जानकारी होने के बावजूद, प्रत्यर्थी ने स्वेच्छा से 04 अप्रैल, 2022 को विज्ञापित पद हेतु आवेदन किया, यद्यपि उसका मौजूदा कार्यकाल अगले वर्ष तक जारी रहना था।

11.2. पिछले अवसरों पर, समान स्थितियों में आवेदकों को मामले की योग्यता के आधार पर केवल एक से दो महीने का विस्तारण दिया गया है, और केवल तभी जब वे अपनी मौजूदा नियुक्ति को पूरा करने के कगार पर हों। हालाँकि, प्रत्यर्थी के मामले में ऐसी स्थिति नहीं है।



11.3. प्रत्यर्थी के अनुरोध को जनहित में स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि उसने लगभग एक वर्ष के लिए विस्तारण की मांग की थी, जिसके परिणामस्वरूप उसका पहला कार्यकाल पूरा होने तक पद रिक्त पड़ा रहता।

11.4. अधि.सु.अ., 2021 की धारा 5 के परंतुक, जिस पर विद्वान एकल न्यायाधीश ने भरोसा किया है, यह प्रावधान करता है कि 26 मई, 2017 और 13 अगस्त, 2021 (अधिसूचित तिथि) के बीच कें.प्रशा.अधि. के अध्यक्ष/सदस्यों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों का कार्यकाल पांच वर्ष से अधिक नहीं होगा। हालांकि अधि.सु.अ., 2021 की घोषणा से पहले नियुक्त सदस्यों का कार्यकाल सुरक्षित है और सरकार द्वारा इसमें कटौती नहीं की जा सकती है, परंतु प्रत्यर्थी को धारा 9 के अंतर्गत पांच वर्ष पूरे होने से पहले ही प्रभार छोड़ने का पूरा अधिकार है। अपने नए चयन पर, प्रत्यर्थी ने 04 सितंबर, 2022 को न्यायिक सदस्य के रूप में कार्यभार छोड़ दिया। इस प्रकार, सक्षम प्राधिकारी ने उसके पहले कार्यकाल में कटौती नहीं की, अपितु उसने स्वयं नया कार्यभार संभालने का फैसला किया।

### विश्लेषण

12. न्यायालय ने उपरोक्त प्रतिविरोधों पर विचार किया है। प्रत्यर्थी को खोज-सह-चयन समिति की सिफारिशों पर और कैबिनेट नियुक्ति समिति ["कैबि.नि.स."] से उचित अनुमोदन के बाद कें.प्रशा.अधि. के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। दिनांक 03 जुलाई, 2018 के नियुक्ति पत्र के

अनुसार, उन्हें पद का कार्यभार संभालने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहना था। सेवा की ये शर्तें कें.प्रशा.अधि., 1985 के प्रावधानों द्वारा शासित थीं। अधि.सु.अ., 2021 के अधिनियमन के बाद, 2021 नियमों को वित्त मंत्रालय द्वारा 15 सितंबर, 2021 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, अपीलार्थी सं.1 ने न्यायिक सदस्य, कें.प्रशा.अधि. के पद हेतु रिक्तियों का विज्ञापन दिया, जिसमें पुनर्नियुक्ति का प्रावधान शामिल था। यह देखते हुए कि वर्तमान सदस्यों द्वारा पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन करने पर कोई प्रतिषेध नहीं था, प्रत्यर्थी ने आवेदन पत्र में कें.प्रशा.अधि. में अपनी वर्तमान स्थिति का पूरा प्रकटीकरण करते हुए पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन किया। सर्वोच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खोज-सह-चयन समिति ने कें.प्रशा.अधि. के न्यायिक सदस्य के पद हेतु प्रत्यर्थी के नाम की सिफारिश की। कैबि.नि.स. ने उस पर अपना अनुमोदन दिया, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 05 अगस्त, 2022 के पत्र-व्यवहार के माध्यम से सूचित किया गया, जो इस प्रकार है:

*“मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कें.प्रशा.अधि.) में न्यायिक सदस्य के 16 पदों के लिए 2,25,000 रुपये (नियत) वेतनमान में पद ग्रहण करने की तिथि से 04 वर्ष की अवधि हेतु या 67 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो प्राप्त करने तक निम्नलिखित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ”*

13. कैबि.नि.स. के उपरोक्त अनुमोदन के परिणामस्वरूप, अपीलार्थीगण ने दिनांक 06 अगस्त, 2022 को आदेश जारी किया, जिसमें पद के कार्यभार

संभालने की तिथि से चार वर्ष की अवधि हेतु या 67 वर्ष की, जो भी पहले हो आयु प्राप्त करने तक न्यायिक सदस्य के रूप में प्रत्यर्थी की नियुक्ति की सूचना दी गई। इस स्तर पर, प्रत्यर्थी को आदेश जारी होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर उपस्थित होने के लिए कहा गया था, ऐसा न करने पर उसकी नियुक्ति रद्द मानी जाएगी।

14. न्यायालय की राय में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही ढंग से अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्यर्थी की पुनर्नियुक्ति पहला कार्यकाल समाप्त होने के बाद अर्थात् 11 जुलाई, 2023 से प्रभावी होनी चाहिए। तर्क कार्यकाल स्थिरता की अवधारणा में निहित है, जो न्यायिक स्वतंत्रता की एक मूलभूत विशेषता है। यह सिद्धांत कार्यकाल की समयपूर्व समाप्ति को रोकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि एक न्यायाधीश मनमाने ढंग से हटाए जाने या पुनः नियुक्ति के दबाव के डर के बिना अपने कार्यों का निर्वहन कर सकता है। अधि.सु.अ., 2021 और 2021 नियमों के अंतर्गत रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया तब शुरू की गई थी जब प्रत्यर्थी अभी भी प्रशा.अधि.अ., 1985 के अंतर्गत सेवारत था। वर्तमान सदस्यों को पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन करने पर कोई प्रतिषेध नहीं है। पुनर्नियुक्ति हेतु प्रत्यर्थी का आवेदन उसके वर्तमान कार्यकाल को पूरा होने की परिवंचना करने के प्रयास के बजाय सेवा में निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु एक विवेकपूर्ण कदम था। जैसा कि अपीलार्थीगण ने प्रकटन किया है, तथ्य यह है कि कें.प्रशा.अधि. के अन्य समान पद वाले

सदस्यों को विस्तारण दिया गया है, यह दर्शाता है कि संस्था शामिल होने के समय में लचीलेपन की आवश्यकता को पहचानती है, खासकर तब जब संबंधित व्यक्ति किसी चल रहे कार्य में संलिप्त हो। विस्तारण हेतु प्रत्यर्थी के अनुरोध को इस प्रथा के साथ-साथ इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि वह पहले से ही कें.प्रशा.अधि. के सदस्य के रूप में कार्यरत था, जिससे अधिकरण के कामकाज पर किसी भी हानिकारक प्रभाव की संभावना को नकार दिया जा सके। न्यायालय को सूचित किया गया है कि प्रत्यर्थी के पद से उत्पन्न रिक्ति का भी विज्ञापन किया गया था, जो आगे इंगित करता है कि प्रणाली अधिकरण के कामकाज में कम से कम व्यवधान सुनिश्चित करने हेतु ऐसे परिदृश्यों को संभालने के लिए सुसज्जित है। इसलिए, विस्तारण हेतु प्रत्यर्थी के अनुरोध के कारण संभावित विलंब या व्यवधान के विषय में किसी भी तर्क में गुणागुण नहीं है। प्रत्यर्थी 11 जुलाई, 2023 तक कें.प्रशा.अधि. के न्यायिक सदस्य के रूप में कार्य करेगा और संपूर्ति पर, वह चार वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर बना रहेगा। इसलिए, रिक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

15. हालांकि ऐसे परिदृश्य से बचना महत्वपूर्ण है जहां रिक्तियां लंबे समय तक रिक्त रहती हैं, वर्तमान मामले में स्थिति भिन्न है। प्रत्यर्थी पुनर्नियुक्ति को आरक्षित रखने के लिए नहीं कह रहा था, परंतु केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कह रहा था कि उसका नया कार्यकाल उसके वर्तमान कार्यकाल के पूर्ण होने के बाद शुरू हो, जिससे, एक सुरक्षित कार्यकाल के सिद्धांत को कायम

रखा जा सके। उसके पास पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन करने का वैध कारण था, भले ही उनका मौजूदा कार्यकाल एक वर्ष से अधिक शेष था। इसलिए उसे इस कारण से दंडित नहीं किया जाना चाहिए।'

16. यह तर्क कि प्रशा.अधि.अ., 1985 के अंतर्गत कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन छोड़ा जा सकता है, इस मामले में अच्छा नहीं है। पुनर्नियुक्ति हेतु प्रत्यर्थी का आवेदन उसके मौजूदा कार्यकाल को छोड़ने के समान नहीं है, परंतु उसके मौजूदा कार्यकाल के पूरा होने के बाद, एक नए कार्यकाल में संक्रमण की उसकी इच्छा को दर्शाता है। सुरक्षित कार्यकाल का मूल आधार यह है कि इसमें न तो मनमाने ढंग से कटौती की जा सकती है, न ही इसे छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है। एक मुक्त विज्ञापन के विरुद्ध आवेदन करने का प्रत्यर्थी का निर्णय स्वचालित रूप से उसके मौजूदा कार्यकाल को छोड़ने की स्वीकृति का संकेत नहीं देता है। पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन करने (जो सेवा की निरंतरता का सुझाव देता है) और नई नियुक्ति हेतु आवेदन करने (जो एक नई सेवा शुरू करने की इच्छा का सुझाव देता है) के बीच एक स्पष्ट अंतर है। यहां, प्रत्यर्थी ने पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन किया, जो स्वाभाविक रूप से वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति के बाद सेवा जारी रखने का आशय दर्शाता है। इस प्रकार यह तर्क कि प्रत्यर्थी ने स्वेच्छा से अपना पद त्याग दिया, गुणागुण रहित है। यह स्पष्ट है कि निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर शामिल न होने की संभावित जटिलताओं के कारण उन्हें ऐसा करने के लिए

मजबूर होना पड़ा, जिससे उसकी पुनर्नियुक्ति के लाभ खतरे में पड़ सकते थे। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि प्रत्यर्थी का निर्णय स्वैच्छिक था। इसके अलावा, न्यायालय अपीलार्थी द्वारा विस्तारण हेतु प्रत्यर्थी के अनुरोध को अस्वीकार करने को उचित ठहराने के लिए दिए गए तर्क से असहमत है, विशेष रूप से दूसरों को दिए गए विस्तारण के आलोक में। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने उचित रूप से अपीलार्थीगण के फैसले को न्यायनिर्णीत माना है, इस प्रकार यह भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

17. अपीलार्थीगण का यह प्रतिविरोध कि प्रत्यर्थी ने आवेदन पत्र में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किया है, भी पथभ्रष्ट है, क्योंकि ये शर्तें सुरक्षित कार्यकाल के मूल सिद्धांत पर अभिभावी नहीं हो सकती हैं। अपीलार्थीगण का मामला इस दावे पर टिका है कि प्रत्यर्थी को प्रशा.अधि.अ., 2021 के अंतर्गत नियुक्ति आदेश के तीस दिनों के भीतर अपने पद पर शामिल होने की आवश्यकता में पता था। यद्यपि, यह दावा अपुष्ट है क्योंकि अधि.सु.अ., 2021 यह विनिर्दिष्ट नहीं करता है कि एक सेवारत सदस्य को पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होने के लिए अपने मौजूदा कार्यकाल को छोड़ना होगा। प्रासंगिक रूप से, विस्तारण हेतु प्रत्यर्थी के अनुरोध को कें.प्रशा.अधि. के अध्यक्ष ने 27 अगस्त, 2022 के पत्र-व्यवहार के माध्यम से समर्थन दिया था; यद्यपि, अपीलार्थीगण द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया।

18. उपर्युक्त कारणों से, हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से सहमत हैं और आक्षेपित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

19. इसलिए वर्तमान अपील को अन्य लंबित आवेदनों के साथ खारिज कर दिया जाता है।

**न्या. संजीव नरूला**

**मु.न्या. सतीश चंद्र शर्मा**

**12 जुलाई, 2023/डी.नेगी/एन.के.**

*(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)*

**अस्वीकरण :** देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।